

सरकारी अंकेक्षण

(Government Audit)

किसी भी सरकारी विभाग, मंत्रालय, उपक्रम या कंपनी का अंकेक्षण C&AG (Comptroller and Audit General of India) द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के खातों का अंकेक्षण भी C&AG द्वारा किया जाता है। C&AG के अधिकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर समझे जाते हैं। का पारिश्रमिक व अन्य सुविधाएँ संसद द्वारा विशेष अधिनियम के आधार पर निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के आधार पर C&AG का कुल पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर किया गया है। किसी भी C&AG का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अधिकतम आयु 65 वर्ष की होती है।

C&AG को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब या तो वह अकुशल हो जाता है या किसी व्यक्ति से दुर्यवहार करें। दोनों ही परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा व लोकसभा) के दो तिहाई सदस्यों द्वारा यदि काग (C&AG) के विरोध में मत दिया जाएगा तभी C&AG को हटाया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार C&AG को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को यह परामर्श दे कि सरकारी विभागों, मंत्रालयों, उपक्रमों में किस प्रकार से लेखा पुस्तकें रखी जाए।

अनुच्छेद 151 के अनुसार C&AG को यह अधिकार है कि वह सरकारी कार्यालयों, विभागों व उपक्रमों का अंकेक्षण करें और केंद्रीय सरकार से संबंधित कार्यालयों, विभागों व उपक्रमों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) राष्ट्रपति को प्रेषित करें और राज्य सरकारों से संबंधित कार्यालयों, विभागों, मंत्रालयों व उपक्रमों के अंकेक्षण के उपरांत अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) राज्यपाल को प्रेषित करें।

C&AG के कर्तव्य:-

(1) केंद्र तथा राज्यों का संकलन व प्रस्तुति :- C&AG द्वारा केंद्र तथा विभिन्न राज्यों के अधीन विभागों, मंत्रालयों व उपक्रमों के खातों का संकलन किया जाता है और उनके खातों की प्रस्तुति जिस प्रकार से वह करना चाहे व राष्ट्रपति करवाना चाहें, वह कर सकता है।

C&AG द्वारा केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाये गये खातों का संकलन किया जाता है यह खाते दो प्रकार से बनाये जा सकते हैं – प्रारंभिक खाते तथा दूसरा सहायक खाते।

प्रारंभिक खाते वे खाते हैं जहाँ केवल भुगतान किया जाता है अर्थात् विभागों, कार्यालयों व उपक्रमों की जिनकी सीधी आय नहीं होती है इन्हें व्ययों का भुगतान करने के लिए केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनुदान व ऋण उपलब्ध कराया जाता है। C&AG यदि चाहें तो इन विभागों से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है जो खातों के संकलन व प्रस्तुति के संबंध में होगी।

(2) अंकेंक्षण से संबंधित सामान्य प्रावधान :- C&AG द्वारा सरकारी विभागों, मंत्रालयों, उपक्रमों के लेनदेन से संबंधित अंकेंक्षण किया जाएगा और अंकेंक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रशासक को दी जाएगी । C&AG द्वारा इन विभागों, कार्यालयों व उपक्रमों के व्ययों का अंकेंक्षण ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से एक अभ्यासरत व्यक्ति करता है । इसी प्रकार से जो भी प्राप्तियाँ इन सरकारों को होती हैं इनका अंकेंक्षण भी C&AG द्वारा किया जाएगा और प्राप्तियों के संबंध में यह जाँचा जाएगा कि कुल प्राप्तियाँ जो सरकारों को प्राप्त होनी चाहिए वे प्राप्त हो गई हैं । या उनके संबंध में बकाया राशि के लिए माँग की गई है और प्राप्त की गई बकाया माँग की राशि का सही प्रकार से खातों में समायोजन कर लिया गया है । प्रत्येक सरकार के पास भारत का एक संक्षिप्त निधि कोष (Consolidated Fund of India-CFI) रहता है । इसी कोष में सरकारों की प्राप्तियों को जोड़ा जाता है व सरकारों के व्ययों को लिया जाता है, ये व्यय दो प्रकार के हो सकते हैं –

(अ) जिनके संबंध में राशि आरक्षित की गई है ।

(ब) जो असम्भाव्य दायित्व से संबंधित है ।

(3) अनुदानों व ऋणों का अंकेंक्षण :- सरकारों द्वारा CFI में से यदि किन्हीं व्यक्तियों को अनुदान या ऋण दिये गये हैं (जिसमें विदेशी संस्थानों को शामिल नहीं किया जाएगा) तो ऐसे संस्थानों का अंकेंक्षण C&AG द्वारा विशेष रूप से किया जाएगा । इन संस्थानों का अंकेंक्षण करते समय C&AG द्वारा यह देखा जाएगा कि इनके द्वारा दिया गया ऋण व अनुदान किन परिस्थितियों में दिया गया है व किन दस्तावेजों के आधार पर दिया गया है ।

(4) सरकारों की प्राप्तियों का अंकेंक्षण :- प्राप्तियों के अंकेंक्षण के अंतर्गत अंकेंक्षक को अनुमानों, आय के संग्रहण व आय के उचित आवंटन का अंकेंक्षण करना होता है । सरकारों को विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय का सर्वप्रथम सही प्रकार से अनुमान लगाना होता है । उसके उपरान्त उस आय का संग्रहण करके उचित खातों में आवंटन करना होता है जिसके संदर्भ में अंकेंक्षण कर C&AG अपना प्रतिवेदन (Audit Report) प्रस्तुत करता है ।

(5) स्टोर्स एवं स्टॉक खातों का अंकेंक्षण :- C&AG द्वारा सरकार के उन विभागों का भी अंकेंक्षण किया जाता है जो स्टॉक एवं स्टोर्स से संबंधित खाते भी रखते हैं । इन खातों का अंकेंक्षण करते समय C&AG द्वारा यह जाँचा जाता है कि स्टोर एवं स्टॉक सही मूल्य पर लिखा गया है, सही प्रकार से रखा जा रहा है व आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्रय नहीं किया गया है ।

(6) सरकारी कंपनियों व निगमों का अंकेंक्षण :- सरकारी कंपनियों व निगमों का अंकेंक्षण C&AG द्वारा कंपनी अधिनियम को ध्यान में रखकर किया जाता है अर्थात् कंपनी अधिनियम की धारा 617 व 619 के आधार पर C&AG द्वारा अंकेंक्षक की नियुक्ति की जाती है और उन्हें अंकेंक्षण से संबंधित निर्देश दिये जाते हैं ।

C&AG की शक्तियाँ (Powers of C&AG) :-

उपरोक्त कर्तव्यों को निभाने के लिए C&AG को निम्न प्रकार की शक्तियाँ दी गई है :-

- (1) C&AG द्वारा केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के अधीन आने वाले किसी भी विभाग उपक्रम इत्यादि को यह निदेश दिया जा सकता है कि वे स्वयं के खाते C&AG द्वारा बताये गये स्थान पर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करें ।
- (2) C&AG द्वारा सरकारी विभागों, कार्यालयों व उपक्रमों के खातों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस के समय किया जा सकता है चाहे वे खाते प्रारंभिक खाते हों या सहायक खाते ।
- (3) C&AG को यह भी अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी विभाग, कार्यालय व उपक्रम के किसी भी अधिकारी से लेन-देन के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है और उसे यह भी अधिकार है कि लेनदेनों व खातों के संबंध में उत्तरदायी ठहरा सकें और यदि आवश्यकता पड़े तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रति भी प्राप्त कर सकें ।
- (4) कंपनी अधिनियम की धारा 619(3) के अनुसार भी C&AG को कंपनियों व निगमों के अंकेक्षण के संबंध में निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं :-

- C&AG द्वारा नियुक्त किए गए अंकेक्षक को यह निर्देश दिये जा सकते हैं कि अंकेक्षकों द्वारा किस प्रकार से अंकेक्षण किया जाएगा । कौनसे मामलों की गहनता से जाँच की जाएगी और कौनसे मामलों को निदर्शन सिद्धांत के आधार पर जाँचा जाएगा ।
- C&AG यदि चाहें तो सामान्य अंकेक्षण के साथ-साथ पूरक अंकेक्षण भी करवा सकता है । यह पूरक अंकेक्षण किसी भी व्यक्ति से करवाया जा सकता है जो उसके निर्देशों की पालना करेगा और C&AG को अपना प्रतिवेदन (Report) प्रस्तुत करेगा ।

सरकारी व्ययों का अंकेक्षण :-

सरकारी विभागों, कार्यालयों व उपक्रमों के अंकेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण अंकेक्षण सरकारी व्ययों का अंकेक्षण होता है । सरकारी व्ययों के अंकेक्षण के अंतर्गत C&AG द्वारा मुख्य रूप से निम्न प्रावधानों का अंकेक्षण किया जाता है :-

- (1) C&AG द्वारा व्ययों के संबंध में बनाये गये नियम, कायदे व कानूनों का अंकेक्षण किया जाता है जिसे "नियमों तथा आदेशों के प्रति अंकेक्षण" कहा जाता है । इसके अंतर्गत C&AG द्वारा यह जाँचा जाता है कि सरकारों द्वारा जो भी व्यय किये गए हैं वे सभी नियमों व कानूनों के अनुसार किए गए हैं जो संविधान में उल्लेखित हैं । संविधान में उल्लेखित नियम व कानूनों के आधार पर ही सरकारी विभागों द्वारा अपने विभागों में नियम व कानून बनाये हैं अर्थात् किसी भी सरकारी विभाग द्वारा जो नियम व कानून बनाये गये हैं वे उनके उच्च अधिकारी/सत्ता द्वारा बनाये गये कानून व नियमों के विपरित नहीं है ।

इस प्रकार के अंकेक्षण के अंतर्गत C&AG द्वारा यह भी जाँचा जाता है कि व्ययों के संबंध में जो नियम व कानून बनाये गये हैं वे उचित अधिकारियों द्वारा ही इस्तेमाल में लिये जाने चाहिए अर्थात् जिन अधिकारियों

को संविधान, अधिनियम इत्यादि में अधिकृत किया गया है, वे ही व्ययों को अधिकृत करें या उनके द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्तियों द्वारा अधिकृत किए जाएं ।

C&AG द्वारा यह भी जाँचा जाता है कि जो व्यय सरकारों द्वारा किए जाने हैं व उनके संदर्भ में किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत प्रकार से भुगतान का दावा प्रस्तुत न किया जा सकें ।

(2) अनुमोदन अंकेक्षण :- सरकारी व्ययों का अनुमोदन दो प्रकार से किया जा सकता है – प्रथम सामान्य रूप में तथा द्वितीय विशिष्ट रूप में । यदि सरकारी अधिकारियों को एक निश्चित राशि तक के व्ययों को करने के संबंध में स्वीकृति दे दी जाती है तो उसे सामान्य अनुमोदन कहा जाएगा और यदि किन्हीं व्यक्तियों को सामूहिक रूप से व्ययों के संबंध में स्वीकृति दी जाती है तो उसे विशिष्ट अनुमोदन कहा जाएगा । जिन अधिकारियों द्वारा सरकारी व्ययों का अनुमोदन किया जा रहा है , उनके संबंध में **C&AG** को यह भी जाँचना है कि उस अधिकारी द्वारा किया गया अनुमोदन उस अधिकारी के अधिकार में आता है या नहीं । इस प्रकार के अंकेक्षण को स्वीकृतियों का अंकेक्षण कहा जाएगा ।

(3) कोषों के प्रावधान से संबंधित अंकेक्षण :- सरकारों द्वारा प्रत्येक प्रकार के व्यय के संबंध में कोष बनाये जाते हैं । को यह जाँचना है कि किया गया व्यय कोषों के प्रावधान के अंतर्गत ही आता है और व्यय की कुल मात्रा निर्धारित किए गए कोष से अधिक नहीं है । इस प्रकार के अंकेक्षण को कोषों के प्रावधान के प्रति अंकेक्षण कहा जाएगा ।

(4) औचित्य अंकेक्षण (Propriety Audit) :- **C&AG** को सरकारी व्ययों का अंकेक्षण करते समय यह भी जाँचा जाता है कि व्यय वित्तीय औचित्य के सिद्धांत के अनुसार किया गया है या नहीं । इस प्रकार के अंकेक्षण को औचित्य अंकेक्षण कहा जाता है या उपयुक्तता का अंकेक्षण भी कहा जाता है । द्वारा ऐसे अंकेक्षण के अंतर्गत ऐसे व्ययों को ढुंढा जाता है जो निष्फल व्यय हैं, अपरिहार्य हैं या अनुचित हैं , चाहें उन व्ययों को नियमों व कानूनों के अनुसार किया गया है , उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये गये हैं या कोषों के प्रावधान के अंतर्गत हों । अनुचित व निष्फल व्यय वे कहे जाते हैं जिनके संबंध में आम जनता को उचित प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है या जब लाभ प्राप्त होना चाहिए उस समय वह लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है । उदाहरण के तौर पर सरकार द्वारा एक ऐसे भवन का निर्माण किया गया जो टेलीफोन एक्सचेंज से संबंधित था परंतु जब भवन बनकर पूर्ण हुआ तो उस समय उस भवन का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इतने बड़े भवन की आवश्यकता नहीं थी । इसी प्रकार से सरकार द्वारा एक स्कूल भवन का निर्माण किया गया जिसका इस्तेमाल 5 सालों के उपरांत किया जाना था । अतः ऐसे व्ययों को सरकार द्वारा त्यागा जा सकता था । प्रत्येक सरकारी व्यय उपयुक्त व्यय है या नहीं इसका निर्धारण निम्न मानदण्डों के आधार पर किया जाता है :-

- किये गये व्यय सरसरी तौर पर माँग से अधिक नहीं होने चाहिए अर्थात् जिस व्यय की जितनी माँग है उससे अधिक नहीं होने चाहिए व सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक धन को व्यय करते समय उसी प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए जिस प्रकार से वह अधिकारी अपने निजी धन को व्यय करते समय बरतता है ।
- किसी भी अधिकारी द्वारा व्ययों की स्वीकृति इस प्रकार से नहीं की जाएगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आधार पर उस कर्मचारी के लिए लाभ बनेगी ।

- किसी भी सरकारी कर्मचारी को यदि किसी प्रकार के भत्ते का भुगतान प्राप्त होता है तो उस कर्मचारी द्वारा उस भत्ते की राशि को अपने लाभ का स्रोत नहीं बनाना चाहिए ।

(5) निष्पत्ति अंकेक्षण (Performance Audit) :- निष्पत्ति अंकेक्षण के अंतर्गत द्वारा C&AG मुख्यतः कार्यक्षमता , मितव्ययिता तथा प्रभावोत्पादकता को ध्यान में रखा जाता है । इस प्रकार के अंकेक्षण को पूर्ण अंकेक्षण भी कहा जाता है ।

- कार्यक्षमता अंकेक्षण :- कार्यक्षमता अंकेक्षण के अंतर्गत C&AG द्वारा यह जाँचा जाता है कि सरकार की जो विभिन्न योजनाएँ व परियोजनाएँ चल रही हैं वे निर्धारित समय के अंतर्गत पूर्ण कर ली जाए जिससे सभी योजनाएँ व परियोजनाएँ निर्धारित राशि में ही पूर्ण की जा सकें ।
- मितव्ययिता अंकेक्षण :- मितव्ययिता अंकेक्षण के अंतर्गत C&AG द्वारा यह जाँचा जाता है कि सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं में वित्तीय , मानवीय व भौतिक संसाधन मितव्ययी आधार पर क्रय किए जाए । जिससे योजनाओं व परियोजनाओं पर विपरीत प्रभाव न पड़े ।
- प्रभावोत्पादकता अंकेक्षण :- प्रभावोत्पादकता अंकेक्षण के अंतर्गत C&AG द्वारा यह जाँचा जाता है कि विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं में किया गया व्यय आम जनता पर सही प्रकार से प्रभाव डाल रहा है अर्थात् आम जन को उनके द्वारा दिये गये कर्षों का सही प्रकार से इस्तेमाल किया गया है ।

निष्पत्ति अंकेक्षण C&AG द्वारा सबसे अंत में किया जाता है और इस प्रकार के अंकेक्षण को करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जो निम्न है :-

- 1 निष्पत्ति अंकेक्षण करने से संबंधित शीर्षक की पहचान करना ।
- 2 शीर्षक का प्रारंभिक अध्ययन करना ।
- 3 अंकेक्षण से संबंधित नियोजन या योजना निर्धारित करना ।
- 4 शीर्षक से संबंधित अंकेक्षण का क्रियान्वयन करना ।
- 5 प्रतिवेदन जारी करना ।

प्राप्तियों का अंकेक्षण :-

C&AG द्वारा , सरकारों की जो भी प्राप्तियाँ होती हैं चाहें वे कर के रूप में हो या ऋण इत्यादि के रूप में हो, उन्हें CFI में सही प्रकार से समायोजित कर दिया गया है , इसका अंकेक्षण किया जाता है। इस प्रकार के अंकेक्षण में C&AG द्वारा मुख्यतः निम्न तीन मामलों को जाँचा जाता है :-

(1) अनुमान (Assesment)

(2) संग्रहण (Demand Collection)

(3) सही खाते में आवंटन (Classification in Proper Account)

C&AG द्वारा इस संदर्भ में यह जाँचा जाता है कि जिन विभागों को कर निर्धारण से संबंधित जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उन्हें उन विभागों द्वारा सही प्रकार से किया जा रहा है अर्थात् **C&AG** द्वारा यह जाँचा जाता है कि संबंधित विभागों द्वारा करों का सही प्रकार से अनुमान लगाया गया है और यदि किसी भी व्यक्ति से सरकार को किसी प्रकार की राशि माँग के रूप में प्राप्त करनी है तो उसे प्राप्त कर ली गई है और सरकारी खातों में उसे सही प्रकार से आवंटित कर दिया गया है ।

C&AG द्वारा यह भी जाँचा जाता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कपटपूर्ण तरीके से , धोखे से या किसी प्रकार की अनियमितताओं से कर की वापसी का पुनः भुगतान नहीं किया गया है । अनुमानों की जाँच करते समय **C&AG** द्वारा यह जाँचा जाता है कि वह सभी अनुमानों की जाँच के स्थान पर अनुमानों की राशि का निर्धारण करने संबंधी प्रक्रिया की जाँच करें अर्थात् निदर्शन सिद्धांतों के आधार पर कुछ विशिष्ट अनुमानों की ही जाँच करें और साथ में अनुमानों के आंकलन की प्रक्रिया की जाँच करें । प्राप्तियों के अंकेक्षण के अंतर्गत **C&AG** द्वारा यह भी जाँचा जाता है कि प्राप्तियों से संबंधित जो नियम कायदे व कानून बनाये गये हैं , उनकी पालना सही प्रकार से हो और यदि उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो उन नियमों में भी परिवर्तन किए जाए ।

सरकारी विभागों द्वारा रखे जा रहे स्टॉक व स्टोर्स का अंकेक्षण

सरकार के जिन विभागों , अधिकरणों द्वारा स्टॉक व स्टोर्स रखे जाते हैं उनके संबंध में भी **C&AG** द्वारा अंकेक्षण किया जाता है । यह स्टॉक एवम् स्टोर्स मशीनरी, संयंत्रों, कच्चे माल, तैयार माल इत्यादि से संबंधित हो सकते हैं । इनका अंकेक्षण निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

(1) माल को क्रय करने , प्राप्ति , निर्गमन, नियंत्रण व विक्रय करने से संबंधी जो नियम बनाये गये हैं उनकी पालना की जाँच करना ।

(2) यदि विभिन्न मालों के संबंध में सरकार द्वारा ठेकेदारों को अधिकृत किया गया है कि वे स्वयं माल की उपलब्धता करेंगे और यदि सरकारों द्वारा माल की उपलब्धता करेंगे और यदि सरकारों द्वारा माल की उपलब्धता कर ली जाती है तो क्या उस माल की राशि ठेकेदारों के खाते में समायोजित की गई है ।

(3) इन विभागों द्वारा मूल्य से संबंधित जो खाते बनाये गये हैं क्या उनके मूल्य बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर के निर्धारित किये गये हैं और यदि नहीं तो क्या समय-समय पर उनके मूल्य में परिवर्तन किया जाता है ।

(4) **C&AG** को मितव्ययिता के सिद्धांतों की भी पालना करनी होती है अर्थात् जो भी माल या वस्तु क्रय की जा रही है उसमें मितव्ययिता के सिद्धांतों की पालना की गई है ।

(5) C&AG को यह भी जांचना है कि सरकारी विभागों द्वारा दोषपूर्ण अथवा निकृष्ट गुणवत्ता वाली वस्तुओं का क्रय नहीं किया गया है । C&AG को यह भी जाँचना है कि क्रय की गई वस्तुओं की मात्रा आवश्यकता से अधिक नहीं है ।

उपरोक्त में से C&AG को यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता ज्ञात होती है तो उस स्थिति में C&AG को संबंधित मामलों को अपने प्रतिवेदन में शामिल करना होगा ।

वाणिज्यिक खातों का अंकेक्षण :-

C&AG द्वारा वाणिज्यिक खातों का अंकेक्षण तीन प्रकार से किया जाता है :-

(1) वे सरकारी विभाग या कार्यालय या उपक्रम जो वाणिज्यिक लेनदेन से संबंध रखते हैं ।

(2) वैधानिक संस्थाएँ , निगम जिनको संसद के विशिष्ट विधानों के अंतर्गत बनाया गया है ।

(3) सरकारी कंपनियाँ , जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित की गई हैं ।

(1) विभाग :- सरकारी विभागों, कार्यालयों का अंकेक्षण C&AG द्वारा उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है जैसे अन्य वाणिज्यिक विभागों व संस्थाओं का अंकेक्षण किया जाता है अर्थात् आवश्यकता से अधिक माल का क्रय नहीं करना , संबंधित अधिनियम की पालना करना , प्रत्येक व्यय व आगम के संबंध में साक्ष्य होना व अधिकारियों द्वारा बनाये गये नियमों व कानूनों के आधार पर अंकेक्षण करना ।

(2) वैधानिक संस्थाएँ , निगम :- इन संस्थाओं का वाणिज्यिक अंकेक्षण C&AG द्वारा उन अधिनियमों के अनुसार किया जाएगा जिनके अंतर्गत इनका नियंत्रण किया जाता है और जिनके अंतर्गत इनका निर्माण किया गया है ।

(3) सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण :- सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण C&AG द्वारा स्वयं नहीं किया जाकर अभ्यासरत अंकेक्षकों से करवाया जाता है जिनकी नियुक्ति C&AG द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 619 के अंतर्गत की जाती है । इन अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण के उपरांत जो भी प्रतिवेदन (Report) बनाया जाता है वह C&AG को प्रेषित किया जाता है और C&AG के पास उन प्रतिवेदनों पर अपनी टिप्पणी करने का अधिकार रहता है । टिप्पणी करने के उपरांत C&AG द्वारा इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों को टिप्पणियों के साथ कंपनी को प्रेषित किया जाता है और कंपनी द्वारा अंशधारियों की साधारण सभा में इन्हें रखा जाता है ।

सरकारी अंकेक्षण (धारा 617)

इस धारा के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को परिभाषित किया गया है । यह परिभाषा कंपनियों की प्रदत्त अंशपूँजी के आधार पर निर्धारित की जाती है । सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिससे कम से कम उस कंपनी को प्राप्त अंशपूँजी का 51 प्रतिशत भाग या तो केंद्रीय सरकार के पास या राज्य सरकार के पास हो या केंद्रीय व राज्य सरकार के पास संयुक्त रूप से हो तथा यदि किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी यदि है तो उसे भी इस सरकारी कंपनी की परिभाषा में गिना जाएगा ।

धारा 233—A व 233—B सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है ।

धारा 619 (1) कंपनी अधिनियम की धारा 224 से लेकर 233 तक जो गैर सरकारी कंपनियों पर लगायी जाती है , वे सरकारी कंपनियों पर भी लागू होगी ।

धारा 619 (2) सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति C&AG (Comptroller and Auditor General of India) द्वारा की जायेगी । इन अंकेक्षकों की नियुक्ति पर कंपनी अधिनियम की धारा भी लागू होती है ।

धारा 619 (3) C&AG के अधिकार निम्न हैं :—

उपधारा (2) में उसके द्वारा नियुक्त किये गये अंकेक्षक को यह आदेश दिया जा सकता है कि अंकेक्षक अपना कार्य किस प्रकार से करेगा अर्थात् C&AG उसके द्वारा नियुक्त किये गये अंकेक्षक को यह आदेश देगा कि उसके द्वारा किया जाने वाला अंकेक्षण कार्य किस प्रकार से किया जाएगा ।

C&AG यदि चाहे तो सामान्य अंकेक्षक के साथ—2 पूरक अंकेक्षण भी करवा सकता है । इस प्रकार का पूरक अंकेक्षण किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से करवाया जा सकता है और वह व्यक्ति अपना पूरक अंकेक्षण करने के उपरांत अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन किस प्रारूप में देंगे , यह C&AG ही निर्धारित करेगा ।

धारा 619 (4) सरकारी कंपनी का अंकेक्षक अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन कंपनी को ना देकर C&AG को प्रेषित करेगा । इस प्रतिवेदन पर यदि C&AG चाहे तो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार रखता है ।

धारा 619 (5) अंकेक्षक का अंकेक्षण प्रतिवेदन व C&AG द्वारा दी गई टिप्पणी यदि है तो कंपनी की वार्षिक साधारण सभा (AGM) में एक साथ रखी जाएगी । इससे पूर्व सरकारी कंपनी के सभी अंशधारियों को अंकेक्षक का अंकेक्षण प्रतिवेदन व साथ ही C&AG द्वारा की टिप्पणी यदि कोई है तो उसे भेजी जाएगी ।

धारा 619 B कंपनी अधिनियम की धारा 619 के सभी प्रावधान निम्न प्रकार की कंपनियों पर भी लागू होंगे:—

यदि निम्न कंपनियों में प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग कुछ विशिष्ट सत्ताओं के पास अकेले या संयुक्त रूप से होगा :—

- (1) केंद्रीय सरकार व एक या एक से अधिक सरकारी कंपनियाँ
- (2) राज्य सरकार या सरकारें व एक या एक से अधिक सरकारी कंपनियाँ
- (3) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारें व एक या एक से अधिक सरकारी कंपनियाँ
- (4) केंद्रीय सरकार व एक या एक से अधिक निगम जो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में हो

(5) केंद्रीय सरकार , एक या एक से अधिक राज्य सरकार व एक या एक से ज्यादा ऐसे निगम जो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में है

(6) एक या एक से अधिक निगम जो या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण में हो ।

Abhishek Sarda